शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2018
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में हिन्दू कोड बिल और नारी उत्थान

नेत्रपाल सिंह (शोधार्थी)
डॉ.संजय कुमार सिंह (निर्देशक)
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास विभाग)
एम.एम.एच. कॉलेज
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

सनातन अथवा हिन्दू धर्म में विवाह एक संस्कार है यह लिखित से अधिक शास्त्रीय और सामाजिक मान्यताओं से संचालित होने वाली व्यवस्था है। इसे क़ानून के रूप में अमली जामा प्रदान करना सदैव से कठिन रहा है अंग्रेजों के आगमन के बाद इस दिशा में काफी प्रयत्न हुए परन्तु उन्होंने भी अपनी सुविधा को देखते हुए क़ानून बनाये स्त्रियों की दयनीय दशा के प्रति करुणा भाव रखते हुए समाज सुधार आन्दोलन ने नारियों के प्रति बनी हुई धारणाओं को बदलने का कार्य किया। निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से हर कोई बचता रहा। भारत की आजादी के पूर्व अधिनियम बनाकर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों से रक्षा के उपाय किया गए, लेकिन उनके व्यापक हितों की अनदेखी की गयी। स्वतन्त्रता के बाद संविधान रचना की प्रक्रिया के दौरान हिन्दू कोड बिल पर व्यापक विचारविमर्श हुआ और क़ानून बनाये गए। प्रस्तुत शोध पत्र में संविधान निर्माता डॉभीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में हिन्दू कोड बिल और नारी उत्थान पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

हिन्दू कोड बिल का उद्देश्य हिन्दू समाज के संरचनात्मक ढाँचे में परिवर्तन कर एक ऐसी विधि बनाना था जो हिन्दू समाज के सभी वर्गों पर लागू हो। हिन्दू कोड बिल महिलाओं के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाला विधान था, जिसकी शुरुआत अंग्रेजी राज से हुई। भारत मे अंग्रेजों के व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की सहज पूर्ति के लिए आवश्यक था कि वह दीवानी व आपराधिक मामलों के लिए एक समान कानून बनाये, जो सभी समुदायों पर लागू हो। विवाह व उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों में सुधार के सवाल पर अंग्रेज शासकों ने निजी और सार्वजनिक अधिकार क्षेत्रों में भेद किया और मोटे तौर पर उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया कि वह विवाह और उत्तराधिकार जैसे निजी दायरों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि इन मुद्दों से सम्बन्धित कानून व रीति-रिवाज विभिन्न समुदायों के साथ गहराई से जुडे हैं। इन क्षेत्रों से सम्बन्धित कोई समान कानून बनाना अंग्रेजों की राजनीतिक जरूरतों के अनुकूल नहीं बैठता था।[1] लेकिन ब्रिटिश न्यायिक प्रक्रिया तथा साक्ष्य नियमों का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश न्यायालयों और न्यायाधीशों ने प्राचीन विधान को काफी बदल दिया। वास्तव मे वे लिखित कानूनों के कार्यान्वयन की दिशा में काफी सक्रिय थे।[2] अदालती फैसलो के अलावा कुछ अवसरों पर उन्होंने अधिनियमों के जरिये भी परिवार और सामाजिक प्रथाओं मे हस्तक्षेप किया, जैसे- (सती नियमन अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह

अधिनियम 1856, सहमति आयु विधेयक 1891, बाल विवाह अधिनियम 1929 आदि)। लेकिन कानूनी सुधार सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं के भडका सकते थे, इसलिए सार्वजनिक रूप से इन समस्याओं को यथावत बना रहने दिया गया।[3]

दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार की इस पहल से महिलाओं के लिए निजी कानूनों की व्यवस्था का विकास हुआ। किन्तु विवाह और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का नियमन राज्य के बजाय धार्मिक नेतृत्व के हाथों में सौंप दिया गया।[4]

वही नारी द्वारा सुधारों के जरिये बदलाव के प्रयासों के इतिहास की छानबीन करने से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत कानूनों के दायरे मे आने वाले मुद्दे उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता के मुद्दे थे। इसलिए राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान उनके अभियानों और संघर्षों में विवाह, तलाक व उत्तराधिकार से जुडे प्रश्न सबसे ऊपर थे।[5] नारीवादी आन्दोलनों का मुख्य फोकस महिलाओं के लिए अधिकारों की प्राप्ति पर था ताकि उनकी समस्याएं कम हों और अपने जीवन पर उनका नियंत्रण दृढ हो सके। ये मांगे इस समझ पर आधारित थी कि कानूनी अधिकारों के सन्दर्भ में समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सम्पत्ति पर नियंत्रण के जरिए आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना और विधवा विवाह, तलाक आदि के विषयों में सामाजिक बन्धनों का उन्मूलन आवश्यक है।[6]

भारत को मिली राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान महिलाओं को राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों मे तो समान अधिकार दिये गये, लेकिन विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण व उत्तराधिकार के प्रश्न पर यहां तीखा विरोध मौजूद था।[7] एक मौके पर रेणुका रे ने मांग की थी कि विवाह व उत्तराधिकार सम्बन्धी भेदभाव पर आधारित कानूनों का निषेध करने के लिए संविधान मे स्पष्ट प्रावधान किया जाये, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।[8]

प्रोफेसर ए.आर. देसाई के अनुसार संविधान के भाग तीन और चार में स्त्रियों को संरक्षण देने वाली धारायें संविधान के भाग तीन की 25-28 (धार्मिक स्वंतत्रता का अधिकार) धाराओं से निरस्त हो जाती है। ये धाराये देश के नागरिकों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार देती है। समाज में सभी धर्म व्यक्तिगत रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा यौन सम्बन्धी मामलों में स्त्रियों के समानता के अधिकार के आड़े आते हैं। संविधान सभा की महिला तथा अन्य संवेदनशील सदस्यों ने उस समय भी धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता को मूल अधिकार बनाये जाने को स्त्रियों के समानता के अधिकार का हनन कहा और इसका विरोध भी किया था। 31 मार्च 1947 को राजकुमारी अमृतकौर ने अपने तथा हंसा मेहता की ओर से बी.एन. राव को लिखे पत्र मे कहा कि "पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह अंतर्जातीय विवाहों का विरोध, असमान अधिकार, सम्पत्ति के अधिकार तथा देवदासी प्रथा की जडे धर्म में ही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मूल अधिकारों का हिस्सा बन जाने से इन कुप्रथाओं को मिटाना असंभव हो जायेगा, परन्तु उनकी इन आपत्तियों पर कोई ध्यान नही दिया गया।"[9]

अंततः संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सशक्त बनाने व सम्पूर्ण हिन्दू समाज में सामाजिक स्तर पर नारी जाति से होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए व समाज को एक नई दिषा देने के लिए हिन्दू कोड बिल के निर्माण का निर्णय लिया गया।

सर्वप्रथम बी.एन. राव की अध्यक्षता में हिन्दू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। इस कमेटी ने अथक प्रयास के बाद हिन्दू कोड बिल बनाया, जिसका सम्बन्ध विवाह व वारिस अधिकार से सम्बन्धित था। बी.एन. राव के इस बिल के प्रारूप को उस समय के विधि मंत्री जोगेन्द्रनाथ मण्डल ने 11 अप्रैल 1947 को केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रस्तुत किया। किन्तु सनातनी ब्राह्मणों के विरोध के कारण यह पास नही हो सका। हिन्दू कोड बिल पर बी.एन. राव समिति की सिफारिशों के लागू न होने पर सरकार ने डा. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में सिलेक्ट कमेटी गठित की, जो हिन्दू कोड बिल की पुनः समीक्षा कर नये रूप में बिल तैयार करे। इस कमेटी का गठन 9 अप्रैल 1948 को किया गया। इसमें विधि विशेषज्ञ, समाज सुधारक तथा महिला वर्ग की प्रतिनिध शामिल की गई। बी.एन. राव समिति का बिल केवल वारिस और विवाह से सम्बन्धित था, जबकि डा. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया बिल वारिस और विवाह के साथ ही दत्तक विधान, उत्तराधिकार, तलाक, गुजारा भत्ता आदि कई मुद्दों पर केन्द्रित था।[10] डा. अम्बेडकर की सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल को पुनः संशोधित कर नये रूप में 12 अप्रैल 1948 को केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए डा अम्बेडकर ने कहा "हिन्दू कानून को संहिता के रूप में स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। हिन्दू कानून उच्च न्यायालय व प्रिवी कौन्सिल के अनेक निर्णयों मे बिखरे हुए हैं। इन नियमों में आम आदमी को सरलता प्रतीत नहीं होती। यह विधेयक सात अलग-अलग मुद्दों से सम्बन्धित कानूनों को संहिताबद्ध कर रहा है। ये है स्त्री-पुरुष के सम्पत्ति के अधिकार, वारिसों के उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण और पालकत्व।[11] इस बिल के विधानमण्डल में प्रस्तुत होने के साथ ही बाहर जनता में यह चर्चा का विषय बन गया कि हिन्दू कोड बिल क्या है ? यह समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए डा अम्बेडकर कहते हैं कि हिन्दू कोड बिल इस देश में विधानसभा द्वारा हाथ में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार है। कोई भी कानून जो इस देश में पारित हुआ अथवा जो संभवतः पारित होगा, महत्व की दृष्टि से हिन्दू कोड बिल की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। वर्ग-वर्ग, लिंग-लिंग के बीच असमानता की उपेक्षा करके, जो हिन्दू समाज का मूलाधार है आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में कानून बनाया जाना हमारे संविधान का उपहास और गोबर के ढेर पर महल बनाये जाने के समान है। हिन्दू कोड बिल की खातिर मतभेद होते हुए भी मैं मंत्रिमण्डल में बना रहा। अतएव यदि मैने कोई गलती की है तो इस आशा से कि कोई शुभ परिणाम निकले।[12]

भारत में नारी अधिकारों की स्थिति के सन्दर्भ में डा. अम्बेडकर कहते हैं कि स्वाधीन भारत में स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति समान अधिकार चाहिये। हिन्दू कोड बिल उसी दिशा मे एक कदम है। भारत की नारियां इस कोड के पारित हो जाने पर अपने वैध तथा चिरवंचित अधिकार प्राप्त कर सकेंगी।

डा. अम्बेडकर ने 7 फरवरी 1949 को हिन्दू कोड बिल का प्रारूप संसद के समक्ष रखा। बिल के सन्दर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा ''यदि आप हिन्दू प्रणाली, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उसमें जो खामियां पैदा हो गई हैं, उन्हें सुधारने में तनिक भी संकोच न करें। हिन्दू कोड बिल हिन्दू प्रणाली की

केवल उन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारना चाहता है जो विकृत हो गई हैं। इससे अधिक यह कुछ नहीं है।''[13] वे आगे कहते हैं - मुझे भारत का संविधान बनाने में इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी हिन्दू कोड बिल को पारित कराने पर होगी क्योंकि इससे समूचा नारी समाज लाभान्वित होगा और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल जायेंगे।[14] इसके बाद डा. अम्बेडकर ने बिल पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बिल की विभिन्न धाराओं को संसद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया और उन धाराओं पर अपने विचार व्यक्त किये।

हिन्दू कोड बिल में नारी से सम्बन्धित प्रावधानों का परीक्षण

विवाह : हिन्दू कोड बिल मे विवाह के दो रूपों की व्यवस्था की गई, जिनमें सांस्कारिक (धर्मानुसार) तथा सिविल (कानूनी) विवाह को मान्यता दी गई, जबकि कोड बिल से पूर्व केवल सांस्कारिक विवाहों को ही मान्यता प्राप्त थी। सांस्कारिक व सिविल विवाह सम्पन्न करने के लिए वर व वधु को कुछ शर्तें पूर्ण करनी आवश्यक थी, जो इस प्रकार हैं :

1. विवाह के समय दोनो पक्षों मे से कोई भी जीवित पति अथवा पत्नी नहीं रखता हो।
2. विवाह के समय कोई भी पक्ष जड बुद्धि व पागल न हो।
3. सांस्कारिक विवाह के समय वर की आयु 18 वर्ष व वधु की आयु 14 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये। वहीं सिविल विवाह में वर और वधु की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
4. विवाह के समय दोनों पक्ष निषेधात्मक सम्बन्धों की कोटि में न आते हों।
5. विवाह के समय पक्षकार परस्पर सपिण्ड न हो। यदि रीति-रिवाज जिनसे वे नियंत्रित होते हैं, यदि दोनों के विवाह की अनुमति देते हैं, तो ऐसा संभव है।

वहीं हिन्दू कोड बिल की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि सिविल विवाह के अन्तर्गत किन्हीं दो हिन्दू वर-वधुओं का विवाह चाहे उनका परस्पर वर्ग भेद या जाति भेद कैसा व कितना भी क्यों न हो, वैध माना जायेगा। वहीं उनसे उत्पन्न संतान भी वैध मानी जायेगी व उसे पैतृक सम्पत्ति में भी हिस्सा प्रदान किया जायेगा, जबकि इस कानून से पूर्व ऐसे विवाहों व उनसे उत्पन्न संतानों को अवैध माना जाता था और उन्हे पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा भी नहीं दिया जाता था।[15]

इसके साथ-साथ बिल में बहु विवाह को भी दण्डनीय अपराध बनाया गया। इस बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह को क्षेत्राधिकार युक्त सक्षम न्यायालय द्वारा बिना विच्छेदित किये यदि दूसरे विवाह की संविदा करता है/करती है, इस संहिता के लागू होने के बाद, तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का XLV) की धारा 404 तथा 405 में वर्णित दण्ड का भागी होगा, अपने पति अथवा पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाह करने के अपराध में।[16]

वहीं डॉ. अम्बेडकर ने विवाह के साथ-साथ विवाह विच्छेद (तलाक) का प्रावधान भी हिन्दू कोड बिल में किया। विवाह विच्छेद सम्बन्धी धारा का सम्पूर्ण भारत में प्रबल विरोध हुआ। विवाह विच्छेद वाली धारा का उत्तर देते हुए डॉ अम्बेडकर ने कहा "हिन्दू कोड बिल किसी भी विवाहित को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन यदि पत्नी पर अत्याचार हो रहा

हो या उसका पति दूसरी स्त्री को पत्नी या रखैल के रूप में रखता है तो ऐसे पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक (विवाह विच्छेद) का कानूनी प्रावधान अनिवार्य है। यदि किसी पति को कोढ या कोई अन्य असाध्य बीमारी है जो उसे विवाहित पत्नी से नहीं लगी है बल्कि उसे यह रोग अपने कुकृत्यों से लगाया तो भी उसकी पत्नी अपने भाग्य को रोती रहे ओर उस व्यक्ति से सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकती। यदि पति नपुंसक है और पत्नी से संभोग तथा संतान पैदा करने के अयोग्य है तो भी पत्नी ऐसे पति से सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकती। इसी प्रकार यदि पति पत्नी को छोडकर संन्यासी बन गया है अथवा कई वर्षों तक उसका कुछ पता नहीं चलता तो भी उसकी पत्नी ऐसी स्थिति में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसी व्यक्ति की पत्नी बनकर रहती है।

यदि पति अपनी पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता-पीटता है अथवा मानसिक पीडा पहुंचाता है तथा व्यभिचार करता है तो भी उसकी साध्वी पत्नी सारी आयु के लिए उससे सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि वर्तमान हिन्दू रूढि रिवाज या धर्मशास्त्र उसे उस पति से पृथक होने का अधिकार नहीं देते।[17]

क्या ऐसी भयानक परिस्थिति में कोई ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है जो ऐसी दुखित और पीडित पत्नी अथवा पति दोनो को विवाह विच्छेद का समान अधिकार देता हो। इन दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष अपने जीवन साथी से सताया जा रहा हो वह तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उपर्युक्त सबूत/प्रमाण प्रस्तुत करके पहले दो वर्षों के लिए अदालती पृथकता और तत्पश्चात तलाक प्राप्त करके यदि चाहे तो वह दूसरा विवाह कर सकती है।

गुजारा भत्ता : वहीं यदि विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में कार्यवाही जारी हो और न्यायालय को ऐसा लगे कि पत्नी के पास उसके सहारे तथा इस कार्यवाही के लिए कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो पत्नी के निवेदन करने पर वह पति को ऐसा आदेश दे सकता है कि वह उसे इस कार्यवाही के खर्च के लिए अपनी आय का पांचवा हिस्सा प्रदान करे। यदि पति और पत्नी का विवाह सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो तो पत्नी के निवेदन पर न्यायालय उसे भत्ता प्रदान करने का आदेश जारी कर सकता है कि पत्नी जब तक शीलवती (सद्चरित्र) या अविवाहित रहे, उसके जीवन की सुरक्षा हेतु उसके सहारे तथा रख-रखाव हेतु पति मासिक अथवा सामयिक भुगतान मुद्रा के रूप में प्रदान करे।[18] लेकिन यदि न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये जाये कि तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विववाह कर लिया है अथवा वह शीलवती नहीं रही है तो वह अपने आदेश मे परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे निष्प्रभावी कर सकता है।

बिल में दत्तक ग्रहण सम्बन्धी धारा के विषय पर बोलते हुए डॉ अम्बेडकर कहते हैं कि "शताब्दियों से धर्मग्रन्थों मे निहित उपदेशों तथा हिन्दू रुढियों के अनुसार दत्तक के रूप में सजातीय या दोहता को ही गोद लिया जा सकता था किन्तु हिन्दू कोड न केवल सजातीय व दोहता को गोद लेने की सुविधा देता है बल्कि किसी भी हिन्दू बालक व कन्या को गोद लिया जा सकता है। गोद लिया बच्चा माता-पिता की सम्पत्ति में अधिकार भी प्राप्त कर सकता है।[19] दत्तक ग्रहण करने के लिए किसी भी हिन्दू को स्वस्थ मस्तिष्क व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी वहीं उसकी पत्नी की सहमति भी अनिवार्य होगी। वहीं बिल में हिन्दू पति की विधवा को भी

दत्तक ग्रहण करने की सुविधा प्रदान की गई है। कोड बिल के अनुसार कोई भी हिन्दू विधवा जो कि स्वस्थ मस्तिष्क है और उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो वह अपने पति के लिए पुत्र का दत्तक ग्रहण करने की क्षमता रखती है।[20] लेकिन कुछ परिस्थितियों में विधवा के दत्तक ग्रहण का अधिकार खारिज हो जायेगा, यदि :

1. वह पुनर्विवाह कर लेती है।
2. जब उसके पति का कोई हिन्दू पुत्र उसके लिए एक पुत्र अथवा पुत्र की विधवा छोडकर मर जाता है।
3. वह स्त्री हिन्दू नहीं रहती है।[21]

वहीं बिल मे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विधवा स्त्री के गोद लेने का अधिकार एक बार खारिज हो जाये तो उसे वह फिर से हासिल नहीं कर सकती।

महिलाओं की सम्पत्ति

हिन्दू कोड बिल में महिलाओं को सम्पत्ति प्राप्त करने व संग्रहित करने के व्यापक प्रावधान किये गये हैं। हिन्दू कोड बिल के अनुसार यदि किसी महिला ने कोई सम्पत्ति अर्जित की है तो वह उसकी निजी सम्पत्ति होगी। वहीं जो कुछ सम्पत्ति महिला ने दान से, वसीयत से अर्जित की है उस पर भी उसका अधिकार होगा। इस सम्पत्ति में महिला द्वारा चल-अचल दोनो प्रकार की सम्पत्ति शामिल है चाहे उसका अर्जन विवाह के पूर्व अथवा पश्चात किया गया हो।

वहीं डॉ. अम्बेडकर ने दहेज के रूप में कन्या को दिये जाने वाले धन को भी स्त्रीधन माना। उनकी अनुशंसा पर बिल में प्रावधान किया गया कि किसी विवाह के प्रकरण में जो इस बिल के लागू होने के बाद सम्पन्न हुआ हो और यदि उस अवसर पर कोई दहेज दिया गया है, शर्त के रूप में या विनिमय के रूप में, इस प्रकार के विवाह में मिलने वाला दहेज उस महिला की सम्पत्ति माना जायेगा। यदि विवाह में महिला के अतिरिक्त पुरुष को भी धन प्राप्त हुआ है तो वह व्यक्ति उस धन को न्यास रूपेण उस महिला के लाभ तथा पृथक उपयोग हेतु रखेगा। यदि किसी लडकी का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हो गया हो तो वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उस धन को उसे हस्तान्तरित करेगा।[22]

वहीं हिन्दू कोड बिल में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किये मृत हो जाता है तो उसकी सम्पत्ति में पुत्री, विधवा पत्नी व पुत्र की विधवा को पुत्र के बराबर हिस्सा प्रदान किया जायेगा। कोड बिल के भाग-8 में विवाहित तथा अविवाहित नारी के जीवन निर्वहन के लिए व्यापक व स्पष्ट प्रावधान किये गये। पत्नी के निर्वहन के लिए प्रावधान किया गया है कि एक हिन्दू पत्नी जिसका विवाह कोड बिल के लागू होने से पहले हुआ हो या बाद मे वह पति द्वारा निर्वहन की हकदार होगी। पति के जीवन काल मे पति द्वारा उसकी मृत्यु के उपरान्त पिता द्वारा। वहीं इसमें यह शर्त भी लगाई गई कि हिन्दू पत्नी निर्वहन की दावेदार केवल तभी तक है जब तक वह उसके साथ रहती है। किन्तु यदि स्त्री दुराचारी हो जाती है या हिन्दू नहीं रहती है तो उसके निर्वहन का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

कोड बिल मे एक विशेष प्रावधान यह किया गया कि कोई भी हिन्दू पत्नी अपने पति से अलग रहने की हकदार होगी अपने निर्वहन के दावे को समाप्त किये बिना :

1. यदि वह भयानक रोग से पीडित है।
2. यदि वह उसी घर में कोई रखैल रखता है, जिसमें पत्नी रहती है।

3. यदि वह इस प्रकार की निर्दयता करने का दोषी है, जो पत्नी की असुरक्षा और अवांछनीयता का कारण होती है।

4. यदि वह बिना किसी न्यायोचित कारण के परित्याग का दोषी है।

5. वह हिन्दू नहीं रहा है, उसने अन्य धर्म अपना लिया है।

6. ऐसा अन्य कोई कारण जो उसके अलग रहने को उचित सिद्ध करता हो।[23]

हिन्दू कोड बिल में पत्नी के निर्वहन के साथ साथ विधवा बहु के निर्वहन का भी प्रावधान किया गया। बिल की धारा 126 यह उपबन्ध करती है कि ससुर पर अपनी बहु के निर्वहन का भार तभी तक रहेगा जब तक उसे उठाने के लिए उसके पास साधन है और विधवा बहु स्वयं के निर्वहन में असमर्थ है लेकिन यदि उस विधवा ने पति की भू-सम्पत्तियों में हिस्सा प्राप्त कर लिया है या उसने पुनर्विवाह कर लिया है तो उसके निर्वहन के अधिकार समाप्त हो जायेंगे।[24]

बिल में संतानों तथा वृद्ध माता-पिता के निर्वहन की भी व्यवस्था की गई थी। बिल के प्रावधान के अनुसार कोई भी हिन्दू अपने जीवन काल में अपनी वैध तथा अवैध संतानों के भरण-पोषण के लिए बाध्य होगा। संतानें भी अपने पिता से भरण-पोषण भत्ते का दावा कर सकती है जब तक वे अव्यस्क हैं। वहीं अविवाहित पुत्री के प्रकरण में जब तक वह अपने पिता के पास रहती है तथा अविवाहित रहती है, भरण-पोषण की मांग कर सकती है। इनके साथ-साथ बिल में माता पिता भी अपने पुत्र से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वह वृद्ध और अशक्त है। हिन्दू नारी से सम्बन्धित विभिन्न धाराओं के साथ डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल की संसद में जोरदार वकालत की जिससे समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच असमानताओं को कम किया जा सके। लेकिन 11 अप्रैल 1947 से लेकर 10 अक्टूबर 1951 तक हिन्दू कोड बिल पास न हो सका। क्योंकि संसद में व संसद के बाहर हिन्दू पुरातन वादियो ने हिन्दू कोड बिल व डॉ. अम्बेडकर का जोरदार विरोध किया। जहां कुछ व्यक्ति व संस्थाएं डॉ. अम्बेडकर का समर्थन कर रहे थे वहीं कुछ व्यक्ति व कट्टर हिन्दूवादी संस्थाएं बिल का विरोध कर रही थीं। इस बिल के समर्थको में पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति, एन.वी. गाडगिल, दुर्गाबाई देखमुख व पंडित हृदयनाथ कुंजरू आदि व स्त्री व समाधान नामक पत्रिकायें थीं। वहीं बिल के विरोधियों मे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, करपात्री जी महाराज, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, डॉ. पट्टाभिसीतारम्मया, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, नजीरूद्दीन अहमद आदि व अधिकतर ब्राह्मणवादी हिन्दू संस्थाएं थीं। बिल के विरोधियों के सम्बन्ध में टाइम्स ऑफ़ इंडिया न्यूजपेपर ने 21 सितम्बर 1951 को लिखा, "विरोधी कौन है ? वे लोग हिन्दू कोड बिल के विरोधी हैं, जिन्हें सनातनी कहा जाता है, जो यह सोचते हैं कि हमारे धर्मग्रन्थ ईश्वर द्वारा निर्मित अप्रतिम कलाकृति है, हमारे नैतिक विचार, हमारे धर्मग्रन्थ आदि सब ईश्वर की देन है। किसी व्यक्ति को इसमें परिवर्तन का अधिकार नहीं है। इन्ही लोगों ने हिन्दू कोड बिल जैसे सुधारवादी कार्य का विरोध किया।[25] वहीं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी बिल का विरोध किया। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन के समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने कहा- "मैं पुराने ख्यालो का हूँ। परम्परा से चले आ रहे कर्मकाण्डों पर मैं विश्वास करता हूँ। मेरी सोच तुम्हे सनातनी लगी होगी, लेकिन मैं महात्मा जी के उपदेशों पर चलने वाला व्यक्ति

हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि संसार में असत्य है, ऐसा नहीं है। ये संसार हमे जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेना चाहिये। मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं हिन्दू कोड बिल को समर्थन दे दूंगा।[26] डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के इस भाषण पर महाराष्ट्र के स्त्री व समाधान जैसी पत्रिकाओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्त्री पत्रिका के सम्पादक ने कहा कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की बात मान लें तो हिन्दू कोड बिल ही नहीं बल्कि कोई भी सुधारवादी बिल पास नही हो सकता। वहीं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जहां सदन के अन्दर विरोध किया वहीं उनकी माता जी ने सदन के बाहर डॉ. अम्बेडकर विरोधी धरने आयोजित किये। श्यामाप्रसाद मुखर्जी के विरोध का जवाब देते हुए डॉ अम्बेडकर ने कहा माननीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी चार वर्ष तक मंत्रीमंडल में थे, तब उन्होंने इस बिल के विरूद्ध मंत्रीमंडल में या बाहर एक शब्द नहीं बोला। अब वे केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में एक भी मुद्दा विचार करने लायक नहीं है। प्राचीन काल में आर्य स्त्रियों को पुरुषों के समान ही समाज मे समानता थी। आज के सुधारवादी जमाने में आप स्त्रियों को तमाम अधिकार देने का विरोध क्यों कर रहे हैं।[27] हिन्दू कोड बिल के खिलाफ सदन के अन्दर और बाहर ऐसा माहौल बना दिया गया कि यह बिल चार साल की चर्चा के बाद भी पास नहीं हो सका। बिल के समर्थक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने आरम्भ मे तो बिल को पास कराने की प्रतिबद्धता दिखलाई, लेकिन चुनाव नजदीक आते देख अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिये। 1951 में डॉ. अम्बेडकर के एक पत्र का उत्तर देते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा "इस सत्र मे हिन्दू कोड बिल पास नहीं हो पायेगा, इससे आपका निराश होना स्वाभाविक है। आपने बिल के लिए अथक परिश्रम किया इसका मुझे संज्ञान है। यद्यपि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बिल से सम्बन्धित नहीं हूँ फिर भी मुझे इसकी आवश्यकता से अवगत कराया गया है। अतः मैं भी इस बिल के लिए चिन्तित हूँ। अपने स्तर पर मैने इसके लिए बहुत प्रयास किये है, लेकिन किस्मत और सदन के सदस्य हमारे खिलाफ हैं। इस सत्र में हम बिल को पास कराने में सफल नहीं हो सकते, ऐसा दिखाई दे रहा है।[28] 26 सितम्बर 1951 को लोकसभा में जवाहर लाल नेहरू ने इस बिल को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इससे क्षुब्ध होकर डॉ. अम्बेडकर ने 27 सितम्बर 1951 को कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र भेज दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने जो त्यागपत्र भेजा उसमे त्यागपत्र देने का एक प्रमुख कारण था हिन्दू कोड बिल का पास न होना। डॉ. अम्बेडकर के त्यागपत्र पर मुंबई के वी.वी. देवन ने लिखा "जिन्होंने डॉ. अम्बेडकर को पार्लियामेन्ट के बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने भारत को 50 वर्ष पीछे ढकेल दिया, क्योंकि अब हिन्दू कोड बिल पास न होने की कोई गुंजाइश बाकी न रही।[29]

अपने सामने तो डॉ. अम्बेडकर हिन्दू कोड बिल को पास नहीं करा सके लेकिन उनके बिल व विचारों ने भारतीय नारी में अपने अधिकारों हेतु चेतना व संघर्ष करने की अद्भुत शक्ति भर दी। यह डॉ. अम्बेडकर की ही मेहनत का फल है कि आज हमारा स्त्री समाज इतनी ऊंचाईयों पर है। वहीं नारी सम्बन्धी हिन्दू कोड बिल की धाराओं को सरकार ने समय-समय पर पास करके उन्हें कानूनी रूप दिया व भारतीय नारी को कानूनी

अधिकार। नारी से सम्बन्धित संसद द्वारा पारित व लागू किये गये प्रमुख अधिनियम :

1. विशेष विवाह कानून -1955
2. हिन्दू विवाह कानून -1955
3. हिन्दू उत्तराधिकार कानून -1956
4. हिन्दू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण कानून (निर्वाह) -1956
5. वेश्यावृत्ति उन्मूलन कानून-1958
6. दहेज निषेध कानून -1961
7. मातृत्व लाभ कानून -1961
8. कारखाना कानून -1976
9. बाल विवाह प्रतिबंध कानून -1976

निष्कर्ष

इन अधिनियमों के द्वारा सरकार ने भारतीय नारी को प्रत्येक स्तर पर उनके विकास को सुनिश्चित किया वहीं उनकी सुरक्षा के भी व्यापक प्रबन्ध किये। इन अधिनियमों के द्वारा लडकी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई वहीं उन्हे पिता की सम्पत्ति में भी अधिकार दिया गया। वैश्यावृत्ति उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, मातृत्व लाभ, बाल विवाह पर प्रतिबंध व समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे प्रत्येक स्तर पर नारी समाज के साथ न्याय किया गया है। लेकिन आज भी ऐसे प्रश्न उपस्थित है जो नारी की दयनीय स्थिति का बोध कराते है। बाल विवाह, श्रम शोषण, तलाक, यौन हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, प्रदा प्रथा, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक ऐसे ही प्रश्न है। संविधान लागू होने के 70 वर्ष पश्चात व महिलाओं से सम्बन्धित इतने कानून होने के बावजूद भी समाज में नारी का खूब पोषण हो रहा है। जहां महिलाओं की उपलब्धियों ने समाज को चौंकाया है वहीं उनके खिलाफ होने वाले अपराधों ने शर्मसार भी किया है। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि मैं समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारी की उन्नति के बिना समाज व राष्ट्र की उन्नति असंभव है।

अतः हमे पुनः नारी सुरक्षा के प्रश्नों पर नये सिरे से सोचना चाहिये, जिससे उनसे जुडे अपराध कम हों और व राष्ट्र के विकास में अपना सम्पूर्ण योगदान दे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 Jai singh, The political of personal law, The lawyers collective 1986, page 6-8

2 Forbs, Geraldine (1984). In persuits of Justice : women organization and legal reform, Samya Shakti, A Journal of women studies. I(2) 39-43

3 साधना आर्य, निवेदता मेनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीति : संघर्ष व मुद्दे हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2015, पृष्ठ 308-09

4 Basu aparna & Ray (1990) women struggle : A history of all India women conference 1917-1990, Manohar publication Delhi, page 46-49

5 साधना आर्य, निवेदता मेनन, वही, पृष्ठ 307

6 संविधान सभा बहस, Vol-VII, 1948-1949, पृष्ठ 511-15 और पृष्ठ 540-552

7 J.M Everett, Women and social change in India, Heritage 1985, page 162

8 Latika Sarkar, Women and law : Contemperary problem, vikas publishing house private limited New Delhi, 1994 page 41-49

9 गोपा जोशी, भारत मे स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2015, पृष्ठ 219

10 डॉ. अनिल गजभिये, हिन्दू कोड बिल : इतिहास और संघर्ष, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015 पृष्ठ 42-44

11 वही, पृष्ठ 50

12 सामाजिक न्याय सन्देश, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, दिल्ली, मार्च 2016, पृष्ठ 5

13 जनता साप्ताहिक, मुम्बई दिनांक 26 फरवरी 1949 के अंक से

14 सोहन लाल शास्त्री, हिन्दू कोड बिल व डॉ अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली 2011, पृष्ठ 12

15 डॉ. अनिल गजभिये, पृष्ठ 209-218

16 वही, पृष्ठ 219

17 वही, पृष्ठ 217-224

18 वही, पृष्ठ 228-229

19 वही, पृष्ठ 231

20 वही, पृष्ठ 232

21 वही, पृष्ठ 235

22 वही, पृष्ठ 249

23 वही, पृष्ठ 250

24 वही, पृष्ठ 266

25 वही, पृष्ठ 267

26 Times of India 21 September 1951, Delhi

27 डॉ. अनिल गजभिये, पृष्ठ 88

28 वही, पृष्ठ 97

29 वही, पृष्ठ 109